

संख्या शिक्षा – शिमला प्रां० (२-४)१(१)१/२२- मान्यता प्राप्त - ३७०९२-९६
कार्यालय उप निदेशक शिक्षा प्रारम्भिक,
जिला शिमला – शिमला – १७१००४
दिनांक शिमला – १७१००४

21.12.2022

सेवा में

प्रबन्धक प्रधानाचार्य,
Chapslee School, Shimla-५
रुपगढ़ Shimla-०३, जिला शिमला हिंदूप्रां०।

विषय –

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 की उपधारा (२) के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम ९ के उपनियम (५) के अधीन विद्यालय की मान्यता के लिए मान्यता प्रमाण- पत्र ।

महोदय / महोदया

उपरोक्त विषय पर आपकी पाठशाला के पत्र संख्या-शून्य दिनांक 13.05.2022 के आवेदन और विद्यालय के साथ प्रश्नात्मकों प्रश्नाचार के प्रतिनिर्देश से, मे Chapslee School, Shimla-५ जिला शिमला हिमाचल प्रदेश को 1.03.2022 से 28.02.2027 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए कक्षा पहली से कक्षा आठवीं तक के लिए अनन्ति मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं तथा हर वर्ष हेतु को ० से ०१९ के अनुसार कार्यावाही करें।

उपरोक्त मजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं—

१. मान्यता की मजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा ८ से आगे विद्यालय की मान्यता या सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता दिवक्षित नहीं है।
२. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपावन्ध-१) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 (उपावन्ध-२) के उपावन्धों का पालन करेगा।
३. सोसाइटी / विद्यालय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगी / करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्थैनिक प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगी / करेगा।
४. विद्यालय किसी बालक को निम्नलिखित के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा—
 - (१) आयु का सबूत न होना ।
 - (११) यदि ऐसा प्रवेश, प्रदेश के लिए ९० दिन की विस्तारित अवधि के पश्चात् चाहा गया हो, और
 - (१११) धर्म, जाति या वंश, जन्म के स्थान या इनमें से किसी के आधार पर।
५. विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि—
 - (१) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (११) किसी भी बालक को न तो शारीरिक दण्ड दिया जायेगा या ना ही उसका मानसिक उत्पीड़न किया जायेगा।
 - (१११) प्रारम्भिक शिक्षा के पूर्ण होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- (४) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को हिमाचल प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम १९ के अधीन यथा अधिकारित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
- (५) निःशक्तता ग्रस्त विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।
- (६) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा २३ (१) के अधीन पथा अधिकारित न्यूनतम अहताओं के साथ की जाती है और विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, न्यूनतम अहताएं नहीं हैं, मार्च 2015 तक ऐसी न्यूनतम अहताएं अर्जित करेंगे।
- (७) अध्यापक / अध्यापिका अधिनियम की धारा २४ (१) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्य का पालन करेगा / करेगी और
६. विद्यालय, धारा २९ की उपधारा (१) के अधीन शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अधिकारित पाठ्यचयन के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।



7. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में छात्रों का नामांकन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट मानकों और सन्नियामों को बनाए रखेगा अन्नितम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :-
- | | |
|------------------------------|------------------|
| विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल, | — 1931.31 Sq. M. |
| कुल निर्मित क्षेत्र, | — 701.26 Sq. M. |
| कीड़ा रथल का क्षेत्रफल . | — |
| कक्ष के कमरों की संख्या, | — 25 |

मुख्याध्यापक एवं कार्यालय एवं भण्डार कक्ष के लिए कमरा, बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शोचालय, पेयजल सुविधा, मिठ —डे —मिल पकाने वृत्त रसोई अध्यापन पठन सामग्री/ कीड़ा खेल—कूद उपरकरों / पुस्तकालय की उपलब्धता चाहा रहित पहुंच ।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर, विद्यालय के नाम से कोई गैर—मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य अवसरवनाओं या कीला स्थलों का, विद्यालयों के किसी कर्मचारी के निवास के प्रयोजन के लिए या रात्रि के दौरान वाणिज्यक या आवासीय प्रयोजनों के लिए या किसी भी प्रकार की राजनीतिक या गैर—शोषणिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सासाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाएगा।
12. विद्यालय को किसी व्यष्टि या व्यष्टियों के समूह संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाएगा।
13. विद्यालय के लेखाओं की, किसी घार्टड एकाउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जाएगी और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाएगा।
14. प्रत्येक वर्ष लेखा विवरण की एक प्रति उप निदेशक / खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
15. आपके विद्यालय को आंबटित मान्यता कोड संख्याक 000108 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्याका उल्लेख करें।
16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय—समय पर निदेशक, शिक्षा/उपनिदेशक/खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और वह राज्य सरकार/ स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमीयों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाएगा।
18. राज्य सरकार अनुपालन के लिए समय—समय पर अतिरिक्त भत्ता विनिर्दिष्ट कर सकेगी।
19. शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-2 (एन ०) उपखण्ड (11) तथा (4) में निर्दिष्ट सभी बैधानिक रूप से कार्यरत स्कूलों के प्रबन्धक हर वर्ष शोषणिक सत्र आरंभ होने से तक से कम 15 दिन पहले निर्धारित प्रपत्र पर अपना रख—धोणा पत्र (प्रपत्र में ही हर रिपोर्ट से अवगत करवाया जाए) प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । मान्यता के नवीनीकरण हेतु पाव सी रूपये का शुल्क प्रति वर्ष देय होगा ।

Deed
उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक
शिमला-4, जिला शिमला ।

21.12.2022

पृष्ठांकन
प्रतिलिपि

- संख्या दिनांक शिमला-171004
1. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश शिमला -1 को सूचनार्थ प्रेषित है ।
 2. खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी Shimla-03 को सूचनार्थ प्रेषित है ।
 3. रक्षक नहिं ।

R.S
उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक
शिमला-4, जिला शिमला ।

